अपील भरण पोषण संख्या 7/2017 कालुराम पुत्र जैसाराम नायक निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी ढाणी 5–के तहसील श्रीगंगानगर बनाम सुनीलकुमार डाबला पुत्र कालुराम जाति नायक निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.11.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कालुराम उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट सुनील कुमार उपस्थित है। दोनो पक्षकारो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षित में तथ्य इस प्रकार से है कि यह अपील कालूराम द्वारा उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के प्रकरण सं0 20/2017 कालूराम बनाम सुनील कुमार अन्तर्गत धारा 9 एवं 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2017 के विरूद्ध धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है कि उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.08.17 को निरस्त कर उसके द्वारा किये गये उपहार पत्र दिनांक 20.08.2014 को निरस्त कर अहाता संख्या 19 का कब्जा पुलिस के माध्यम से दिलवाया जावे।

अपीलार्थी का कथन है कि चक मिर्जेवाला का अहाता सं0 19 पैमायशी 1296 दरगज जो कि उसके द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 20.08.1985 से खरीद किया हुआ है के संबंध में एक उपहार पत्र दिनांक 20.08.2014 को रेस्पो0 सुनीलकुमार ने अपने हक में तस्दीक करवा लिया, जिसके संबंध में उसके द्वारा उसे मौखिक रूप से यह विश्वास दिलाया कि वह ताजिन्दगी अपीलार्थी की सेवा करता रहेगा किन्तु उक्त उपहार पत्र करवाने के पश्चात उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आ गया और अपीलार्थी के साथ वह गलत व्यवहार करने लगा तथा उसको बुरी तरह से तंग परेशान कर घर से निकाल दिया गया। जिस कारण वह ढाणी चक 5–के में किसी अन्य के पास रहने के लिए मजबूर हो गया। उक्त उपहार पत्र को शून्य घोषित करवाने के लिए अपीलार्थी ने एक प्रा0 पत्र दिनांक 03.05.17 को अन्तर्गत धारा 21 व 23 के तहत उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया था जिसे उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर ने दिनांक 01.08.17 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उपहार पत्र भरण पोषण की शर्त के अधीन नही किया गया था। उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर का उक्त आदेश विधि सम्मत नही है। इसलिए इसे खारिज किया जावे।

इसके विपरीत रेस्पो0 सुनील कुमार का कथन है कि उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी का प्रा0 पत्र सही रूप से खारिज किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

21.11.17
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रा0 पत्र दिनांक 03.05.17 को उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिस पर दोनो पक्षो की सुनवाई करने के पश्चात उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर ने अपने प्रकरण सं0 20/2017 अनवानी कालुराम बनाम सुनील कुमार में दिनांक 01.08.2017 को निम्न आदेश पारित किया:–

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा करवाये गये उपहार पत्र दिये गये अहाता संख्या 19 की एवज में अप्रार्थी प्रार्थी को भरण पोषण के संबंध में कोई शर्त अंकित नही है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस अधिनियम के तहत पोषणीय नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी कालुराम ने अपने अपीलपत्र में निम्न राहत चाही है:–

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने तथा प्रार्थना पत्र धारा 21 व 23 स्वीकार कर धोखे से करवाया गया उपहार पत्र शून्य घोषित करते हुए कब्जा पुलिस के माध्यम से दिलवाने का आदेश फरमाया जावे।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त अहाता के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत राहत चाही है। उक्त तर्क के सन्दर्भ में अधिनियम कीं धारा 23 के प्रावधानो पर विचार करना उचित होगा। उक्त धारा 23 (1) निम्न प्रकार से है:–

23. कुछ परिस्थितियों में सम्पति का अन्तरण शून्य होगा:–

(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिति ऐसी सुविधाओ और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ईन्कार करता है या असफल रहता है, वह सम्पति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असमयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी ने अपने द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 20.08.1985 से खरीद शुदा मिर्जेवाला का अहाता संख्या 19 पैमायशी 1296 दजगज का रेस्पो0 सुनील कुमार के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड उपहार पत्र दिनांक 20.08.2014 को शून्य घोषित करवाने की इस आधार पर प्रार्थना की है कि रेस्पो0 सुनीलकुमार ने मौखिक रूप से विश्वास दिलाया था कि वह ताजिन्दगी उसकी सेवा करता रहेगा किन्तु बाद में उसके व्यवहार में अन्तर आ गया और उसे उक्त अहाता से बेदखल कर दिया।

उक्त धारा 23 के तहत कोई सम्पति इस शर्त के अधीन अन्तरित होना आवश्यक है कि अन्तरिति, अन्तरक को मूलभूत सुविधांओ और शारिरिक आवश्यकतांओ को पूर्ण करेगा और ऐसी मूलभूत सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकतांओ को पूर्ण करने में विफल रहेगा तो वहां सम्पति का, इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असमयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और वहां अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

किन्तु इस मामले में उक्त विवादित अहाता संख्या 19 के उपहार पत्र दिनांक 20.08.2014 का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कालूराम ने रेस्पो0/अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.08.2014 को एक उपहार पत्र अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाब के व बिना किसी शर्त के किया है। इस धारा 23 के तहत किसी भी सम्पति के अन्तरण को तभी शून्य घोषित किया जा सकता है जब किसी सम्पति को भरण पोषण की शर्त के अधीन अन्तरण किया गया हो। चूंकि इस उपहार पत्र में ऐसी कोई शर्त नही है। इसलिए उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा उक्त अहाता के संबंध में पारित किया गया आदेश दिनांक 01.08.2017 विधि सम्मत है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और उपजिला मजि0 श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 01.08.2017 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर